Annexure – XXV

डा. आर. एस. टोलिया
मुख्य सूचना आयुक्त

सत्यमेव जयते

उत्तरांचल सूचना आयोग
सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779
फैक्स :
ई–मेल : rs_tolia@rediffmail.com

पत्रांक : 119 / उ.सू.आ. / मु.सू.आ. / 2005 दिनांक : 27 दिसम्बर 2005

1. **प्रमुख सचिव वित्त एवं संस्थागत वित्त**
2. **सचिव सूचना**

श्री सुनील अनुरागी पुत्र श्री आर.के. कण्डवाल, मानपुर शिवपुर चौराहा, मानपुर, कोटद्वार– 246149 द्वारा आयोग से निम्न स्पष्टीकरण की मांग की गई है.

1. नकद, बैंक ड्राफ्ट के अलावा शुल्क का भुगतान क्या पोस्टल आर्डर के रूप में मान्य नहीं है?
2. कुछ बैंक (राष्ट्रीयकृत) हिन्दी में ड्राफ्ट स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसका क्या विकल्प हो सकता है?
3. सूचना के लिए आवेदन का डाक से भी प्रेषित किया जा सकता है?

2. सूचना और जन सम्पर्क विभाग के द्वारा अपने 13 अक्टूबर, 2005 के नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी Right to Information (Regulation of Fee and cost) Rules, 2005 जो 13 अक्टूबर, 2005 से लागू है के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 6 (1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के साथ 10 रू. निर्धारित रसीद (ट्रेजरी फार्म नं. 385), या डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक जो संबंधित लोक प्राधिकारी के वित्त / लेखाधिकारी को देय होगा के माध्यम से निर्धारित किया गया है. इसी प्रकार अधिनियम की धारा 7 (1) में भी जो विभिन्न अभिलेखों की प्रतिलिपियों का शुल्क है को भी उपरोक्त व्यवस्था से ही प्राप्त करने की व्यवस्था दी गई है.

3. पोस्टल आर्डर के रूप में शुल्क जमा करने का प्राविधान वर्तमान नियमावली में नहीं है. सूचना विभाग के द्वारा पोस्टल आर्डर के रूप में प्रार्थना पत्र शुल्क भी प्रतिलिपि शुल्क को भी अलग करने की व्यावहारिकता के संबंध में परीक्षण करके विचार किया जाना चाहिए और यदि ऐसी व्यवस्था की जाती है तो तदानुसार 13 अक्टूबर, 2005 को प्रख्यापित नियमावली में भी संशोधन पर विचार किया जाना चाहिए. जहॉ तक आयोग का अभिमत है सर्वोत्तम व्यवस्था यही रहेगी कि विभागों द्वारा नामित लोक प्राधिकारियों / लोक सूचना अधिकारियों को पर्याप्त संख्या में ट्रेजरी फार्म नं. 385 की रसीद बहियां इस प्रकार से उपलब्ध करा दी जायें कि उपरोक्त धनराशि को किसी भी तहसील, विकास खण्ड, ट्रेजरी, विभागीय आहरण वितरण अधिकारियों, तथा अन्य सार्वजनिक कार्यालयों में जाकर उक्त धनराशि नकद जमा की जा सके और उसके सापेक्ष ट्रेजरी फार्म 385 में आवेदक को प्राप्त शुल्क की रसीद दी जा सके. बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर के रूप में शुल्क प्राप्ति में यह कठिनाई आयेगी कि इन दोनों व्यवस्थाओं में लोक प्राधिकारी द्वारा नामित लोक सूचना अधिकारी या अन्य अधिकारी के नाम को स्पष्ट रूप से अंकित करना पड़ेगा जो कि व्यावहारिक रूप से कई प्रकार की कठिनाईयां उत्पन्न कर सकता है. यह देखते हुए कि जन सामान्य द्वारा प्रार्थना पत्रों को भारी संख्या में प्रेषित किया जा रहा है, अतः ट्रेजरी फार्म सं. 385 की उपलब्ध बहियों को

प्राथमिकता के आधार पर आहरण वितरण अधिकारियों के माध्यम से समस्त लोक सूचना अधिकारियों को उपलब्ध करा दिया जाये. साथ ही भविष्य में जो ट्रेजरी फार्म नं. 385 रसीद प्रकाशित की जाये उसको इस प्रकार से प्रकाशित किया जाये जिससे उसमें स्थान व्यर्थ न हो, अनावश्यक विवरणों का मुद्रण न हो और वह हिन्दी में मुद्रित की जाय. वन विभाग के द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले ई–3 फार्म एक सरल रसीदी फार्म है और ट्रेजरी फार्म सं. 385 को भी इसी प्रकार हिन्दी में और स्वच्छ मुद्रण करा कर वितरित किया जाये.

4. बैंक ड्राफ्ट अभी तक नियमावली के अनुसार मान्य शुल्क वसूल करने की व्यवस्था है अतः संस्थागत वित्त विभाग के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से समस्त बैंकों को निर्देश दिये जाने चाहिए कि वह राष्ट्रीय भाषा हिन्दी में भी बैंक ड्राफ्ट स्वीकार करें. केवल अंग्रेजी में बैंक ड्राफ्ट स्वीकार करना एक आपत्तिजनक स्थिति है जिसका शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए.

5. जहॉ तक सूचना के लिए आवेदन को डाक से प्रेषित करने का प्रश्न है उस संबंध में जो व्यावहारिक कठिनाई आयेगी और तत्पश्चात प्रथम और द्वितीय अपीलों में जो विधिक कठिनाईयां उत्पन्न हो सकती हैं उन पर विस्तार से विचार कर के राज्य सरकार के द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जाना उचित होगा. सूचना विभाग के द्वारा डाक विभाग के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने के संबंध में आन्तरिक परीक्षण के साथ–साथ डाक व तार विभाग से भी परामर्श लेना उचित होगा जिससे जो आवेदन डाक के माध्यम से भेजे जायें उनका प्रमाण आवेदक के पास भी रहे और जिस स्तर पर उसे प्राप्त किया जा रहा है उस स्तर पर भी उसके पहुंचने की तिथि का प्रमाण रहे और जितना समय प्रेषण और प्रार्थी के बीच में लगेगा, जिसमें स्थान पर अन्तर हो सकता है, उसकी भी विधिक व्यवस्था अधिनियम में सम्मिलित करनी होगी.

6. अधिनियम की धरा 30 में विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों के निराकरण का प्राविधान दिया गया है. अतः जिस प्रकार की व्यवहारिक कठिनाईयां आयोग द्वारा शासन को संदर्भित की जा रही हैं अथवा जन सामान्य से प्राप्त हो रही हैं उनके सामयिक निराकरण के लिए भी राज्य सरकार के स्तर पर समय से परीक्षण किया जाना उचित होगा क्योंकि अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार उस व्यवस्था को अधिनियम के प्रख्यापन के दो वर्ष के अन्दर ही केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित किया जा सकता है.

7. श्री सुनील अनुरागी से प्राप्त पत्र में दिये गये सुझावों को आयोग द्वारा राज्य सरकार को संदर्भित किये जाने का पृष्ठांकन उनके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है.

भवदीय,

(आर. एस. टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपिः

श्री सुनील अनुरागी द्वारा श्री आर. के. कण्डवाल, मानपुर शिवपुर चौराहा, मानपुर, कोटद्वार– 246149.

(आर. एस. टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त